(87)

तृतीय बैठक

दि० 28-7-87

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.7.87 में विचारणीय विषयों की सूची :-

मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन ।	1-2
2-	हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना पर विचार।	3
3-	विकास शुल्क के आरोपण पर विचार ।	4-5
4-	कुम्भ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमित कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में विचार ।	6-7
5-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।	

परिशिष्ट:-

1- विगत बैठक दिनांक 27.4.87 की कार्यवाही ।

Scanned by CamScanner

मद संख्या- 1

विषयः- विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन ।

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 27-4-87 को हुई थी। कार्यवाही की प्रतियां सभी सदस्यों को प्रेषित की गई थी। प्राधिकरण के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने की कृपा की जाय ।

विगत बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन :-

विगत बैठक में लिए गए निर्णयों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई :-

मद सं0	विषय	कार्यवाही
1-	विगत बैठक की कार्यवाही कीपुष्टि	कोई कार्यवाही वांछित नहीं है ।
2-	वर्ष 1987-88 का आय व्ययक	बजट के अनुसार व्यय किया जा रहा है ।
3-	अपराधों के शमन के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
4-	शमन शुल्क के निर्धारण संबंधी उपविधियों के प्रारूप पर विचार।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
5-	तकनीकी कार्मिकों को लाइसेंस देने की उपविधियों पर विचार ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
6-	भूखण्डों के न्यूनतम क्षेत्रफल से छूट देने के अधिकारों का प्रतिनिधायन।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
7-	हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना	इस बैठक में पुनः महायोजना का प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत है ।
8-	ऋषिकेश की आवासीय योजना	नगरपालिका कर्मचारियों के लिए पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है ।
9-	हरिद्वार में टिबड़ी की आवासीय योजना ।	लें-आउट परिवर्तित कर दिया गया है। पंजीकरण पुस्तिका के प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है ।
10-	प्राधिकरण के लिए मोनोग्राम	इस संबंध में पुनः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है ।

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठकदिनांक 28-7-1987 की कार्यवाही :-

बैठक का स्थान - नगरपालिका सभाकक्ष,
समय - 3.00 बजे अपराह्न ।

उपस्थिति :-

1- श्री अरूण कुमार मिश्र, जिलाधिकारी, सहारनपुर	अध्यक्ष
2- श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3- श्री एन०रविशंकर, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग	प्रतिनिधि सदस्य
4- श्री हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग	प्रतिनिधि सदस्य
5- श्री जे०एस० जोशी, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम मेरठ	प्रतिनिधि सदस्य
6- श्री डाल चन्द्र छाछर, निवासी 140शिवपुरा कनखल हरिद्वार ।	~~प्रतिनिधि~~ सदस्य
7- श्री सुरेश कुमार शर्मा, लालकुआं कनखल, हरिद्वार	सदस्य

बैठक के प्रारंभ में श्री डाल चन्द्र छाछर, सदस्य ने बैठक की कार्यवाही लिखे जाने के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए यह कहा कि सदस्यों द्वारा कही गई सभी बातें कार्यवाही में नहीं आ पाती और यहां तक कि कार्यवाही में निर्णयों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है । प्राधिकरण के सचिव ने श्री छाछर से कहा कि कार्यवाही यथासंभव शुद्ध लिखी जाती है और यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे उदाहरण सहित बताया जाय । श्री छाछर, सदस्य ने कहा कि वे बैठक में नहीं परंतु अलग से उदाहरण दे देंगे । प्राधिकरण को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में बैठक की कार्यवाही और विस्तार से लिखी जाएगी ।

श्री डाल चन्द्र छाछर , सदस्य ने इस बात पर भी असंतोष व्यक्त किया व्यक्त किया और प्रस्तावित किया कि जिलाधिकारीगण चूंकि प्राधिकरण की बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं अतः उनकी सदस्यता समाप्त करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाय । श्री छाछर ने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव से दूसरे गैर-सरकारी सदस्य श्री सुरेश कुमार शर्मा भी सहमत हैं । श्री शर्मा ने प्रतिवाद नहीं किया ।

बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों ने श्री छाछर के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिलाधिकारीगण

2

11- आवासीय भवनों एंवव भूखण्डों के पंजीकरण /आवंटन संबंधी नियमावली पर विचार ।	पंजीकरण की पुस्तिका का प्रकाशन शीघ्र ही हो जाएगा ।
12- तांगा स्टैण्ड, हरकी पौड़ी के द्वितीय/ तृतीय तल पर लांजिग हाउस का निर्माण	प्राधिकरण स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।
13- विनियमित कालोनियों में सैट बैक के प्रति- बंध से छूट देने पर विचार ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
14-(1) विकास शुल्क के आरोपण पर विचार	औद्योगिक मानचित्रों पर तय की गई दरों के अनुसार विकास शुल्क लिया जा रहा है। इस बैठक में आवासीय तथा व्याव- सायिक भूखण्डों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत है ।
14-(2) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के आरोपण पर विचार ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

... उपर्युक्त से स्पष्ट है कि बैठक में लिए गए समस्त निर्णयों का अनुपालन किया जा रहा है ।

Scanned by CamScanner

अपरिहार्य प्रशासनिक विवशताओं के कारण ही अनुपस्थित होते रहते हैं । पहली बैठक में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल तथा जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल उपस्थित हुए थे । दूसरी बैठक में जिलाधिकारीगण ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे । बैठक में यह भी बात स्पष्ट हुई कि प्राधिकरण के गठन की विज्ञप्ति में जिलाधिकारियों को प्रतिनिधि नामित करने का संदर्भ नहीं दिया गया है। श्री एन०रविशंकर, संयुक्त सचिव, नगर विकासविभाग ने यह कहा कि चूंकि इस प्राधिकरण में अध्यक्ष (जिलाधिकारी सहारनपुर) के अलावा चार जिलाधिकारी है, अतः शासन से अनुरोध किया जा सकता है कि विज्ञप्ति में जिलाधिकारीगण को भी अपना प्रतिनिधि जो परगनाधिकारी स्तर से कम के न हों को भेजने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

विचार विमर्श के बाद श्री डाल चन्द्र छाछर का यह प्रस्ताव कि जिलाधिकारियों की सदस्यता उनकी अनुपस्थिति के कारण समाप्त होनी चाहिए अस्वीकृत किया गया ।

उपर्युक्त वार्ता के उपरांत एजेण्डा-टिप्पणियों के क्रम में प्रस्ताव प्रस्तुत हुए जिन पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

मद संख्या:- । विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन ।

विगत बैठक दिनांक 27-4-87 की कार्यवाही एंव उन पर लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी टिप्पणी पढ़कर सुनाई गई । तदुपरान्त विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

Scanned by CamScanner

मद संख्या – 2

विषय:– हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना पर विचार ।

हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना सहयुक्त नियोजक, मेरठ द्वारा तैयार कराई जा रही है । हरिद्वार एंवआस पास के क्षेत्रों की महायोजना का प्रारूप तैयार हो गया है जो प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

Scanned by CamScanner

मद संख्या:- 2 हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना पर विचार ।

बैठक में हरिद्वार एंव आसपास के क्षेत्रों की महायोजना का प्रारूप रखा गया । श्री हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारीगण ने महायोजना के विभिन्न पहलुवों से सदस्यों को अवगत कराया । इस प्रारूप के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए । प्राधिकरण ने अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया कि संशोधित प्रारूप पर उनका अनुमोदन प्राधिकरण का ही अनुमोदन माना जाएगा । श्री हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक ने आश्वासन दिया कि अध्यक्ष महोदय के सुझावों के आधार पर महायोजना के प्रारूप में संशोधन करके अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा । निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित प्रारूप ही प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्रारूप माना जाएगा एंव उसी को प्रकाशित करके सर्वसाधारण से आपत्तियां मंगाई जायेंगी ।

Scanned by CamScanner

विषय:- विकास शुल्क के आरोपण पर विचार ।

प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनांक 13-11-86 की मद सं0-5 में लिए गए निर्णय के अनुसार पूरे विकास क्षेत्र में विकास व्यय की दरों के निर्धारण / पुनरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया था । विगत बैठक दिनांक 27-4-87 में समिति की संस्तुति के आधार पर औद्योगिक निर्माणों के लिए बाह्य विकास व्यय की दरें निश्चित की गई थी ।

समिति की दूसरी बैठक दिनांक 7-7-87 को हुई जिसमें विकास व्यय के निर्धारण हेतु पूरे विकास क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया :-

1- विकसित क्षेत्र - ऐसे क्षेत्र जहां सड़क, जलापूर्ति, बिजली एवं नाली आदि की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।

2- अविकसित क्षेत्र - जहां उपर्युक्त सुविधाओं का अभाव है ।

3- अर्धविकसित क्षेत्र - जहां उपर्युक्त में से कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा कुछ सुविधाओं का अभाव हैं । किसी मुख्य सड़क के किनारे स्थित भूखाण्ड जिसके आसपास अनिर्मित क्षेत्र हो वह अर्धविकसित क्षेत्र माना जाएगा ।

उपर्युक्त ...... क्षेत्रों के संबंध में समिति ने विकास व्यय की दरों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए है :-

1- विकसित क्षेत्र :- ऐसे क्षेत्र जहां सड़क, जलापूर्ति, बिजली एवं नाली आदि की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं वहां आवासीय भूखाण्डों से रू0 5/- प्रति वर्गमीटर तथा व्यावसायिक भूखाण्डों से रू0 15/- प्रति वर्गमीटर की दर से बाह्य विकास शुल्क लिया जाय ।

2- अविकसित क्षेत्र:- इन क्षेत्रों में बिना विन्यास मानचित्र स्वीकृत कराए भवन मानचित्रों की स्वीकृति न दी जाय तथा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के आधार पर वास्तविक आगणन के हिसाब से विकास व्यय लिया जाय ।

3- अर्ध विकसित क्षेत्र:- इन क्षेत्रों में विकसित क्षेत्र की दरों से दुगुने दर पर बाह्य विकास शुल्क लिया जाना उचित होगा ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त समिति ने निम्नलिखित सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं:-

1- हरिद्वार में विनियमित की गई कालोनियों में तथा ऋषिकेश में गंगा नगर तथा उग्रसेन नगर में पुरानी दरों से ही विकास व्यय लिया जाय ।

2- हरिद्वार विनियमित क्षेत्र में उन अविकसित क्षेत्रों में जहां ले-आउट स्वीकृत नहीं हुआ है वहां 50 रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से विकास व्यय लिया जाता रहा है । समिति का सुझाव है कि बिना ले-आउट स्वीकृत कराए मानचित्र न स्वीकृत किए जाएं और केवल उन स्थानों पर जहां ले-आउट बन पाना अब संभव न हो, वहीं 50/-रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किए जाएं ।

समिति के सुझाव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं ।

Scanned by CamScanner

मद संख्या - 3   **विकास शुल्क के आरोपण पर विचार ।**   95

विकास शुल्क के निर्धारण हेतु गठित की गई समिति की संस्तुति के आधार पर यह प्रस्ताव रखा गया था कि विकसित क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों से 5.00 रू० प्रति वर्गमीटर तथा व्यवसायिक भूखण्डों से 15.00रू० प्रति वर्गमीटर की दर से बाह्य विकास शुल्क लिया जाय । अर्धविकसित क्षेत्रों में इसके दुगुने दर से तथा अविकसित क्षेत्रों में वास्तविक आगणन के हिसाब से विकास शुल्क लिया जाय ।

इस प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ । श्री एन० रविशंकर, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग ने इस विषय में जारी किए गए शासनादेश दिनांक 18-8-86 की ओर प्राधिकरण का ध्यान आकृष्ट किया । उन्हें बताया गया कि विकसित क्षेत्रों में इतनी बढ़ी हुई दरों पर सुदृढ़ीकरण शुल्क लिए जाने से इस विकास क्षेत्र में व्यापक जन असंतोष बढ़ेगा । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13-11-86 में जिलाधिकारियों ने भी यही मत व्यक्त किया था और इसी कारण विकास व्यय के निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि विकसित क्षेत्रों में 5.00रू० प्रति वर्गमीटर विकास व्यय की दर अत्यंत कम है । शासन का निर्देश यह है कि 5.00रू० प्रति वर्गफुट का सुदृढ़ीकरण शुल्क लिया जाय परंतु शासन द्वारा निर्धारित दर बहुत अधिक है तथा समिति द्वारा प्रस्तुत की गई दर अत्यंत कम है ।

अतः विकास व्यय के संबंध में विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1- विकसित क्षेत्र :-

- 4 -

2- <u>अविकसित क्षेत्र :-</u>

इन क्षेत्रों में विन्यास मानचित्र के आधार पर वास्तविक आगणन के अनुसार वास्तविक विकास व्यय लिया जाय ।

3- <u>अर्धविकसित क्षेत्र :-</u>

समिति को निर्देश दिया गया कि उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के लिए और औचित्यपूर्ण प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाय ।

4- यह भी निर्णय लिया गया कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र या मुनि की रेती नोटीफाइड एरिया क्षेत्र के लिए अलग से दरें तय करना उचित नहीं होगा । इन क्षेत्रों में भी वे ही दरें रहेंगी जो विकास क्षेत्र के अन्य भागों के लिए हैं ।

5- यह भी निर्णय लिया गया कि ऋषिकेश के गंगा नगर या उग्रसेन नगर को भी कोई अपवाद न माना जाय ।

Scanned by CamScanner

विषय :- कुम्भ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर अनधिकृत कालोनाईजेशन के संबंध में विचार ।

हरिद्वार विकास क्षेत्र में प्राधिकरण के गठन से पूर्व ही कुम्भ मेले के लिए आरक्षित भूखण्डों पर अनधिकृत रूप से प्लाट काटकर बेच दिए गए हैं प्लाटों के क्रेतागण मुख्यतया मध्यम आय वर्ग अथवा अल्प आय वर्ग के हैं। क्रेतागण ने कालोनियों का नाम योगीविहार कालोनी, ज्ञानलोक कालोनी और नन्दपुरी कालोनी के रूप में किया है। इनके संबंध में अलग-अलग विवरण निम्न प्रकार हैं :-

1- योगीविहार कालोनी

यह कालोनी दिल्ली नीति पास रोड परतरप्राइज होटल के पास स्थित है । इस कालोनी का क्षेत्रफल 9, 973 वर्गमीटर है जिसमें कुल 40 प्लाट काटे गए हैं । इस कालोनी में सड़क की चौड़ाई 30 फुट, 18 फुट और 15फुट चौड़ी गलियों का प्रावधान किया गया है । इस कालोनी में पार्क का प्रावधान नहीं है । यह क्षेत्र महायोजना में कुम्भ मेला क्षेत्र दिखाया गया है।

2- ज्ञानलोक कालोनी

यह कालोनी रामकिशन मिशन रोड, कनखल में स्थित है। इस कालोनी का कुल क्षेत्रफल 11, 630 वर्गमीटर है । इसमें कुल 40 भूखण्ड हैं । इस कालोनी में 30 फुट, 15 फुट सड़को एंव गलियों का प्रावधान किया गया है । इसमें पार्क का प्रावधान भी किया गया है परन्तु इसका क्षेत्रफल कुछ कम है। यह महायोजना में कुम्भ मेला क्षेत्र दर्शाया गया है ।

3- नन्दपुरी कालोनी

यह कालोनी दिल्ली नीति पास रोड पर आर्यनगर चौराहे के पास पुराने स्टार पेपर मिल के गोदाम कम्पाउण्ड के अन्दर है । इस कालोनी का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.5083 हैक्टेयर है जिसमें 94 आवासीय तथा 24 दुकानों का प्रावधान है । इस कालोनी की आंतरिक सड़कें 25 फुट, 20 फुट और 15 फुट है। इसमें भी पार्क का प्रावधान नहीं किया गया है । इस कालोनी को महायोजना में ग्रीनलैण्ड दर्शाया गया है ।

उपर्युक्त तीनों स्थानों पर अधिकांश बैनामे प्राधिकरण के गठन के पूर्व के हैं । जिन व्यक्तियों ने चाउण्ड्रीवाल अथवा अन्य निर्माण किया है उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

ज्ञानलोक कालोनियों के भूस्वामियों ने अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत कानूनी नोटिस दी है कि कुम्भ मेले हेतु चूंकि इस भूमि का 10 वर्षो तक अधिग्रहण नहीं किया गया अतः अब यह भूमि महायोजना की शर्तो से मुक्त हो गई है । इस नोटिस के संबंध में धारा 54 के प्रावधानों को देखते हुए निर्णय आवश्यक है ।

इन तीनों विन्यास मानचित्र में सड़कों की चौड़ाई कम है । दो विन्यास मानचित्रों में पार्को का प्रावधान नहीं है ।

अतः निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जाना है ।

1- यदि कुम्भ मेले के प्रयोजन हेतु इन भूमियों की आवश्यकता होतो इनका तत्काल अधिग्रहण कर लिया जाय ।

2- यदि ऐसा उचित न समझा जाय तो प्लाट मालिकों की समस्या को देखते हुए तीनों कालोनियों को नियमित करने पर विचार किया जा सकता है ।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

Scanned by CamScanner

मद संख्या :- 4 कुम्भ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर अनधिकृत कालोनाइजेशन के संबंध में विचार ।

इस प्रस्ताव के संबंध में समयाभाव के कारण विचार विमर्श नहीं हो सका । निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाय ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

1- बैठक में प्राधिकरण के मोनोग्राम की डिजाइनें जो विभिन्न व्यावसायिक कलाकारों से प्राप्त हुई थी, चयन हेतु रखी गयी । सर्व सम्मति से मैसर्स विदित एडवर्टाइजिंग, थर्ड फ्लोर नेहरू भवन, पुराना नेशनल हेराल्ड आफिस, केसरबाग लखनऊ का नमूना नं0-1 जिसमें "ह" अक्षर में मंदिर का संकेत किया गया है तथा नीचे नीले रंग से गंगा नदी का संकेत किया गया है, पसंद किया गया । यही डिजाइन प्राधिकरण के मोनोग्राम हेतु स्वीकृत की गई ।

2- श्री सुरेश कुमार शर्मा, सदस्य ने यह भी समस्या उठाई कि नियत प्राधिकारी द्वारा पूर्व में स्वीकृत नक्शों की अवधि 3 वर्ष थी। कुछ नक्शों की अवधि बीत चुकी है और भवन नहीं बने हैं । यहां तक कि उनके नवीनीकरण की भी अवधि बीत चुकी है । उन्होंने सुझाव दिया कि प्राधिकरण द्वारा कोई फीस निर्धारित करके उन नक्शों को फिर से नवीनीकृत किए जाने पर विचार किया जाय ताकि उन व्यक्तियों को दुबारा नक्शा बनवाने में व्यय न करना पड़े । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि इस संबंध में नियमों की परीक्षा करके एक प्रस्ताव अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय ।

अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के उपरांत बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

6/8/87

(आर0एन0उपाध्याय)	(हरीश चन्द्र श्रीवास्तव)	(एन0के0 मिश्रा)
सचिव,	उपाध्यक्ष,	अध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।	हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-87 में विचारणीय विषयों की सूची :-

मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयो का क्रियान्वयन ।	1
2-	हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना के संबंध में विचार ।	2
3-	कुम्भ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर अनधिकृत कालोनाइजेशन के संबंध में विचार ।	3
4-	विकसित क्षेत्रों में विकास शुल्क के आरोपण पर विचार ।	4-5
5-	अर्ध विकसित क्षेत्रों में विकास शुल्क के आरोपण पर विचार।	6
6-	हरकी पौड़ी के समीप मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में ।	7
7-	अवधूत मण्डल हरिद्वार के समीप भूमि अर्जन के संबंध में ।	8
8-	कनखाल (राजस्व ग्राम जगजीतपुर) में भूमि अर्जन का प्रस्ताव।	9
9-	उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद द्वारा प्रेषित भू-अर्जन के के प्रस्ताव पर विचार ।	10
10-	हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय के प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न पर विचार ।	11
11-	प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों को वास्तविक-यात्रा-व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।	12
12-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।	

परिशिष्ट :-

1- हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय के प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न ।

2- विगत बैठक दिनांक 28-7-87 की कार्यवाही ।

Scanned by CamScanner